न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 530–तीन/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.3.08 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 1380/अपील/06–07.

———

रामसखा तनय रामनाथ पटेल,
निवासी ग्राम मढ़ा तहसील रामपुर नेकिन
जिला सीधी ——— आवेदक

विरूद्ध

राजरूप कुशवाह तनय रामप्यारे कुशवाह
निवासी ग्राम मढ़ा तहसील रामपुर नेकिन,
जिला सीधी म.प्र. ——— अनावेदक

———

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अधिवक्ता, आवेदक.

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 04 अगस्त 2014 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 1380/अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक 19–3–08 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में संहिता की धारा 89 एवं 107(5) के तहत विवादित भूमियों का नक्शा सुधार किए जाने हेतु आवेदन दिया गया । विचारोपरांत उक्त आवेदन स्वीकार किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर कलेक्टर, सीधी के न्यायालय में अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 16–8–07 द्वारा स्वीकार की । द्वितीय अपील आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में की गई जो उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि

दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश विधि विरूद्ध हैं क्योंकि बंदोवस्त के दौरान जो त्रुटि हुई थी उसके संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर एस.डी.ओ. द्वारा विधिवत जांच तहसीलदार के माध्यम से मौके पर राजस्व निरीक्षक द्वारा 16–2–05 को की गई तथा पंचनामा तैयार किया गया जिस पर उभयपक्ष उपस्थित थे । अनावेदक ने उपस्थित होने के बावजूद हस्ताक्षर करने से इंकार किया ऐसी स्थिति में एस.डी.ओ. द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधिसम्मत है । अनावेदक ने प्रथम स्थल निरीक्षण दिनांक 21–8–04 में अपने हस्ताक्षर किए दूसरी बार किए गए स्थल निरीक्षण दिनांक 9–11–04 को उपस्थित होने के उपरांत हस्ताक्षर नहीं किए गए । अतः अधीनस्थ न्यायालय का यह तर्क कि अनावेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया सही नहीं है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय यदि यह मानते थे कि अनावेदक को समुचित सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हआ है तो मामले को विधिवत सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित करना चाहिए था । उक्त आधार पर उनके द्वारा दोनों अपीलीय न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय है ।

5– आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण संहिता की धारा 89 और 107(5) के अंतर्गत नक्शा सुधार के संबंध में है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह पाया है कि स्थल निरीक्षण के पूर्व हितधारी व्यक्तियों को सूचना नहीं दी गई तथा अनुविभागीय अधिकारी ने भी पक्षकारों को ना तो आव्हानित किया और न इस संबंध में आदेश पत्रिका में कोई उल्लेख है और उक्त कारण से उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को विधिसम्मत मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अभिलेख पर आधारित है और उसमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती हैं ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर